संख्या-655/2025/142/नौ-5-2025/002-1478126

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र , लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2025

विषयः- भारत सरकार द्वारा आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ हेतु उपलब्ध करायी गयी अनुदान राशि केन्द्र (आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ) को हस्तांतरित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पत्र संख्या-एन-11024/01/2017LSG, दिनांक 31-12-2024 द्वारा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के कार्मिकों के वेतन मद में रूपये 62.50 लाख एवं पत्र संख्या-एन-11024/01/2017LSG, दिनांक 31-12-2024 द्वारा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के कार्मिकों के गैर वेतन मद में रूपये 16.25 लाख अर्थात् आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कुल अवमुक्त रूपये 78.75 लाख के सापेक्ष **समस्त रूपये 78.75 लाख (रूपये अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) यह धनराशि कोषागार से एकमुश्त/ आहरित कर किसी बैंक/पीएलए/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रतिमाह की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से आहरित कर उन्हीं कार्मिकों के वेतन/भत्तों पर ही व्यय की जाएगी, जो पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं तथा जिसके सापेक्ष कर्मी कार्यरत हैं।

(3) इस धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवश्य कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकर, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण हेतु बीजक शासन के सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) इस संबंध में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एन-11024/01/2017-एलएसजी, दिनांक 01.07.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 16,25,000 (रुपये सोलह लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808000600 लखनऊ विश्वविद्यालय (रीजनल सेन्टर फार अरबन एण्ड इनवायरमेन्टल स्टडी के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर तैनात कार्मिकों के वेतन मद हेतु प्राप्त केन्द्रांश से व्यय हेतु) (केन्द्रांश 100 प्रतिशत) मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 62,50,000 (रुपये बासठ लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808000600 लखनऊ विश्वविद्यालय (रीजनल सेन्टर फार अरबन एण्ड इनवायरमेन्टल स्टडी के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर तैनात कार्मिकों के वेतन मद हेतु

प्राप्त केन्द्रांश से व्यय हेतु) (केन्द्रांश 100 प्रतिशत) मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0 ओ0 संख्या– E-9-469-X-2024-25- दिनांक:31-01-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
31.01.2025

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-655/2025/142(1)/नौ-5-2025/002-1478126, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- अनुसचिव, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
31.01.2025

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-31/01/2025

प्रेषण संख्या:- 655
आवंटन आदेश संख्या:- 001-655-2025-142-9-5-2025-002-1478126
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - लखनऊ विश्वविद्यालय (रीजनल सेन्टर फार अरबन एण्ड इनवायरमेन्टल स्टडी के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर तैनात कार्मिकों के वेतन मद हेतु प्राप्त केन्द्रांश से व्यय हेतु) (केन्द्रांश 100 प्रतिशत)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6027-निदेशक रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एण्ड इनवायरमेन्टल स्टडी , लखनऊ-01-lucknow	वर्तमान प्रगामी	1625000 4875000	6250000 18750000	7875000 23625000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1625000 4875000	6250000 18750000	7875000 23625000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ छत्तीस लाख पच्चीस हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव